BAGHPAT POLICE

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर न्याय प्रक्रिया को और अधिक सुगम, पारदर्शी और मानवीय बनाने की दिशा में आज दिनांक 14-08-2025 से एक नई पहल — "ऑपरेशन एफ.आई.आर. आपके द्वार" का शुभारंभ किया गया है।

🚨 *बागपत पुलिस की अभिनव पहल* 🚨

"ऑपरेशन एफ.आई.आर. आपके द्वार" – न्याय की ओर एक और कदम

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर न्याय प्रक्रिया को और अधिक सुगम, पारदर्शी और मानवीय बनाने की दिशा में आज दिनांक 14-08-2025 से एक नई पहल — "ऑपरेशन एफ.आई.आर. आपके द्वार" का शुभारंभ किया गया है।

इस अभियान के अंतर्गत अब जपनद बागपत में किसी भी आपराधिक घटना पर अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त, संबंधित वादी को एफ.आई.आर.

की प्रमाणित प्रति उनके निवास पर पहुंचायी जाएगी, और यह कार्य बीट अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

🔍 इस पहल की विशेषताएं:

✅ एफ.आई.आर. की प्रति घर बैठे प्राप्त करें — अब शिकायतकर्ता को थाना परिसर के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

✅ 24 घंटे के भीतर सेवा — पंजीकरण के बाद एफ.आई.आर. की प्रति अधिकतम 24 घंटे के भीतर संबंधित व्यक्ति को सौंप दी जाएगी।

✅ बीट स्तर पर जवाबदेही — बीट अधिकारी सीधे ज़िम्मेदार होंगे, जिससे स्थानीय पुलिस व्यवस्था और अधिक सक्रिय एवं उत्तरदायी होगी।

इस अभियान से न केवल पीड़ित व्यक्तियों को राहत मिलेगी, बल्कि पुलिस के कार्य में विश्वसनीयता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता का नया अध्याय भी जोड़ा जाएगा।

🎙️ **श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत का संदेश:**

"न्याय केवल पंजीकरण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी जानकारी भी समय पर और सीधे उस व्यक्ति तक पहुंचे, जो पीड़ित है। 'ऑपरेशन एफ.आई.आर. आपके द्वार' इसी सोच का प्रतिफल है। हमारा उद्देश्य है — जनता और पुलिस के बीच विश्वास की नींव को और अधिक मज़बूत करना।"

🤝 बागपत पुलिस — आपके साथ, हर कदम पर

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना साइबर क्राइम   दिनाँक 14.08.2025

थाना साइबर क्राइम एवं साइबर सैल बागपत की संयुक्त पुलिस टीम ने मु0अ0सं0-28/2025 धारा 318(4)/205/ 336(3)/338/339/340(2) BNS व 66(D) IT Act से सम्बन्धित मैट्रीमोनियल साइट जीवनसाथी आदि पर अपनी सैन्य अधिकारी की फेक आइडी बनाकर खुद को आर्मी में मेजर, कर्नल, लेफ्टीनेंट कर्नल आदि सैन्य अधिकारी बताकर साइबर ठगी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन, 03 सिमकार्ड, 02 आधार कार्ड, 02 पैन कार्ड, 02 ड्राइविंग लाइसेन्स, 02 डेविड कार्ड, 01 क्रेडिट कार्ड, 01 आइडी कार्ड(मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स) व 1610 रुपये नकद ।

<u>संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 13-08-2025 थाना साइबर क्राइम बागपत पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेट्रीमोनियल बेवसाइट जीवनसाथीडॉटकाम पर अपनी सैन्य अधिकारी की फेक आइडी बनाकर खुद को आर्मी में मेजर बताते हुए वादिया को शादी का झूठा वादा कर वादिया के साथ कुल 2,73,000 रूपये का फ्रॉड किया गया । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0-28/2025 धारा 318(4)/205/ 336(3)/338/339/340(2) BNS व 66(D) IT Act पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना साइबर क्राइम एवं साइबर सैल बागपत की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 28/2025 धारा 318(4)/205/336(3)/338/339/340(2) BNS व 66(D) IT Act से सम्बन्धित मैट्रीमोनियल साइट जीवनसाथी आदि पर अपनी सैन्य अधिकारी की फेक आइडी बनाकर खुद को आर्मी में मेजर, कर्नल, लेफ्टीनेंट कर्नल आदि सैन्य अधिकारी बताकर साइबर ठगी करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 02 मोबाइल फोन, 03 सिमकार्ड, 02 आधार कार्ड, 02 पैन कार्ड, 02 ड्राइविंग लाइसेन्स, 02 डेविड कार्ड, 01 क्रेडिट कार्ड, 01 आइडी कार्ड(मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स) व 1610 रुपये नकद बरामद हुए हैं।

बरामदगी का विवरणः-

- 02 मोबाइल फोन।
- 03 सिमकार्ड।
- 02 आधार कार्ड।
- 02 पैन कार्ड।
- 02 ड्राइविंग लाइसेन्स।
- 02 डेविड कार्ड।
- 01 क्रेडिट कार्ड।
- 01 आइडी कार्ड(मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स)।
- 1610 रुपये नकद।

नोट - नवीन सिंह के नाम के फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, एमएचए का आइ कार्ड बरामद हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

कुलदीप उर्फ नवीन सिंह पुत्र जयवीर सिंह, निवासी ग्राम जिनामई थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद नोएडा में प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन नौकरी छूट जाने के बाद आर्थिक तंगी के चलते उसने ठगी का रास्ता अपनाया। उसने जीवनसाथी डॉट कॉम, शादी डॉट कॉम और संगम जैसी मैट्रीमोनियल वेबसाइट्स पर फर्जी पहचान "नवीन सिंह" के नाम से बनाई और खुद को आर्मी में मेजर, कर्नल, या लेफ्टिनेंट कर्नल बताकर लड़कियों को धोखा देने लगा। उसने सैन्य अधिकारियों की वर्दी में फोटो गूगल से लेकर अपनी प्रोफाइल पर लगाए और फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व गृह मंत्रालय का आईकार्ड भी बनवाया। अभियुक्त ने लगभग 20 लड़कियों को शादी का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी की, जिसमें बागपत की एक लड़की से 2.73 लाख रुपये ठगे गए।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक ब्रजेश सिंह थाना प्रभारी साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
2. निरीक्षक कैलाश चन्द प्रभारी साइबर सैल जनपद बागपत ।
3. निरीक्षक सन्तशरण सिंह थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
4. उ0नि0 राघवेन्द्र कुमार जनपद थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
5. है0 का0 639 दीपक कुमार थाना साइबर क्राइम जपनद बागपत ।
6. है0 का0 640 उमेश वर्मा थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
7. का0 229 देवेश कसाना थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
8. का0 986 प्रशान्त कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 14/08/25

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

दिनेश कुमार पुत्र भूप सिंह निवासी ग्राम पिलाना थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3.है0का0 210 दानवीर सिह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

4.है0का0689 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला **दिनाँक – 14.08.2025**

थाना रमाला पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-आदिल पुत्र नवाब निवासी मौ0 गुसाइयान बडका रोड बडौत थाना बडौत जनपद बागपत।

2-कपिल पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम गूँगाखेड़ी थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री हसन अली थाना रमाला जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री सन्नी कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

3-है0का0 164 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

4-का0 1032 ब्रजेश थाना रमाला जनपद बागपत।

5-का0 1090 अमित थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला   दिनाँक 14.08.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 235/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 बाल अपचारियों के विरुद्ध की कार्यवाही, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटर साइकिल नं0 UP-17M-5824 बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 14.08.2025 को थाना रमाला पर वादी श्री विरेन्द्र पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की मोटरसाइकिल UP-17M-5824 चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 235/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 235/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 बाल अपचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटर साइकिल नं0 UP-17M-5824 बरामद हुई है।

नोटः- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता

02 बाल अपचारी

बरामद का विवरणः-

- **01 मोटर साइकिल नं0 UP-17M-5824**

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम

1-उ0नि0 श्री प्रियान्शु थाना रमाला जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री पुष्पराज थाना रमाला जनपद बागपत।
3-है0का0 397 शक्ति सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
4-का0 75 अंकुर मलिक थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत   दिनाँक 14.08.2025

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता-

जाहिद पुत्र कूडे निवासी ग्राम कौताना थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
2. है0का0 437 बलजीत सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनांक 14.08.2025**

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 501/25 धारा 105 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा किया बरामद ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 10.08.2025 को थाना बड़ौत पर वादी श्री बृजमोहन पुत्र सतीश निवासी ग्राम समौली थाना दौराला जनपद मेरठ ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त बबलू पुत्र रघुवीर निवासी पट्टी मेहर कौताना रोड़ कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादी की पुत्री के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उपरोक्त सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 501/25 धारा 105 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 501/25 धारा 105 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा बरामद हुआ है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

बबलू उर्फ पवन उर्फ बग्गा पुत्र रघुवीर सिंह निवासी कोताना रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री दिनेशपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
का0 970 रोहित अत्री थाना बडौत जनपद बागपत।
4-का0 89 ललित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

उत्तर प्रदेश पुलिस